



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 743] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 1992/अग्रहायण 3, 1914
No. 743] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 1992/AGRAHAYANA 3, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1992

का.आ. 859(अ):-केन्द्रीय सरकार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 41
की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा 19 जून, 1992
को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में प्रकाशित अपनी
अधिसूचना सं. का आ 451 (अ) में संशोधन करती है, अर्थात्

(1) अधिसूचना सं. 451 (अ) की सारणी के कालम 2 के अखिर में निम्नलिखित मर्दे जोड़ी जाएंगी :—

“(14) निजी प्रयोग के लिए ओमनी बस।

(15) निजी प्रयोग के लिए कॅम्पर वन/ट्रेलर।”

[फा. सं-आरटी-11028/6/92—एम वी एल।
जी. के. पिल्लै संयुक्त सचि.]

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 1992

S.O. 859(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby makes an amendment to its Notification published in the Extraordinary Issue of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) No. S.O. 451(E), dated 19th June, 1992, namely :—

(1) The following items shall be added in the end of column 2 of the Table of Notification No. 451(E) :

“(xiv) Omni Bus for private use.

(xv) Camper Van|Trailer for private use”.

[F. No. RT-11028/6/91-MVF]

G. K. PILLAI, Jt. Sec.